पत्रांक–05 / बी02–25 / 2015
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० खालिद मिर्जा,
निदेशक, (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

निदेशक,
जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ..../

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना के वाहन का ईंधन एवं रख रखाव एवं विद्युत प्रभार मद में अतिरिक्त आवंटन।**

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–004–अनुसंधान, उप शीर्ष–0003–जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना विपत्र कोड संख्या–21–2202800040003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2017–18** में निम्नांकित मदों में अंकित राशि रू0 **45,000/–(पैंतालीस हजार रूपये)** मात्र आपको निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटन आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्र० सं०	कोड संख्या/ मद		पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	13–कार्यालयी व्यय	0003.13.02–वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	300000	30,000	330000
		0003.13.04–विद्युत प्रभार	100000	15,000	115000
	योग –	21–2202.80.004.0003	**4,00,000**	**45,000**	**4,45,000**

तत्काल आवंटित राशि **45,000/–(पैंतालीस हजार रूपये)** मात्र।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि0–2), दिनांक–17.04.1998 300(वि), दिनांक–08.05.2009, 428 दिनांक–31.03.2017 एवं 3002 दिनांक–26.04.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3 प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

8. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

9. आवंटित राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(डॉ० खालिद मिर्जा),
निदेशक (उच्च शिक्षा),

ज्ञापांकः– 295 पटना, दिनांकः– 27/02/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/प्रशाखा–05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

26.2.18

(डॉ० खालिद मिर्जा),
निदेशक (उच्च शिक्षा),

(6)